विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 30 जून, 2017

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–9/2017–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29–06–2017 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 2) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
(डा0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

2017 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017

भारत के गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 33) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियॉं विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है,

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अध्यादेश का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 है।

2. **धारा 2 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 में ,––

(*i*) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित तथा खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

''(गक) ''कलब'' से, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जो प्रमुखतः इसके सदस्यों को किसी अभिदान या किसी अन्य रकम के एवज में सेवाएं प्रसुविधाएं या लाभ प्रदान करता है;'';

(*ii*) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित तथा खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

''(टक) ''होटल'' के अन्तर्गत कोई भवन या किसी भवन का कोई भाग अभिप्रेत है जहॉं किसी धनीय प्रतिफलार्थ कारबार के फलस्वरूप निवासीय आवास की व्यवस्था की जाती है ;'';

(*iii*) खण्ड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'' (ढ क) '' शराब विक्रय स्थान'' से खुदरा दुकानें अभिप्रेत हैं, जो शराब का विक्रय करने हेतु अनुज्ञप्त होंगी तथा इसके अन्तर्गत कोई होटल, कलब, रेस्तरां या अधिसूचित स्थान नहीं होगा ;'';

(*iv*) खण्ड (द) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'' (द क) ''अधिसूचित स्थान'' से कोई भवन या किसी भवन का भाग और उसके संबद्ध परिसर तथा कोई भी विनिर्दिष्टतः सीमांकित भूमि अभिप्रेत है जिसमें ऐसे अधिसूचित स्थान के भीतर उपयोग हेतु किसी अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अनुसार शराब का प्रदाय अनुज्ञात है ;'';

(*v*) खण्ड (फ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'' (फ क) '' रेस्तरा'' से, कोई वाणिज्यिक स्थापन अभिप्रेत है जहां भोजन तैयार किया जाता है और ग्राहकों को धनीय प्रतिफलार्थ परोसा जाता है ;'';

(*vi*) खण्ड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगे, अर्थात्:—

'' (ब क) '' शराब का विकय'' से, किसी शराब विक्रय स्थान से शराब विकय स्थान के परिसर से अन्यथा किसी स्थान पर किसी केता द्वारा उपयोग हेतु प्रतिफलार्थ शराब का ले जाया जाना अभिप्रेत है;

'' (ब ख) '' शराब का परोसना और उसका प्रदाय'' से अनुज्ञप्ति, जो इस शर्त पर जारी की जाती है कि ऐसी शराब का उपभोग ऐसे होटल, कलब, रेस्तरां या अन्य अधिसूचित स्थान के परिसर के भीतर किया जाएगा, के आधार पर कलबों, रेस्तरांओं, होटलों और किसी अन्य अधिसूचित स्थान पर प्रतिफलार्थ शराब उपलब्ध करवाना अभिप्रेत है ; ।

3. **नई धारा 23 क का अंतःस्थापन.**——मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:——

'' 23 क. शराब का विकय या परोसा जाना और उसका प्रदायः—(1) शराब का विकय केवल अनुज्ञप्त शराब विकय स्थानों के माध्यम से अनुज्ञात किया जाएगा, जो राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग या ऐसे राजमार्ग के साथ—साथ किसी सर्विस लेन के बाह्य किनारे से यथा लागू 220 या 500 मीटर की मोटर योग्य या पैदल दूरी के भीतर अवस्थित नहीं होंगे तथा ऐसे शराब विक्रय स्थान ऐसे राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से न तो दृष्टिगोचर होंगे और न ही प्रत्यक्षतः अभिगम्य होंगे ।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्ति धारण करने वाला प्रत्येक होटल, क्लब, रेस्तरां या कोई अधिसूचित स्थल के परिसरों के भीतर इसके सदस्यों, अतिथियों या अन्य व्यक्ति को, यह विचार किये बिना कि ऐसा क्लब, होटल, रेस्तरां या अधिसूचित स्थान किसी राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग पर या परोसने के निकट अवस्थित है, में उपयोग हेतु ऐसी शराब परोसने एवं उसका प्रदाय करने का हकदार होगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट स्थान पर शराब को परोसने हेतु अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर लेता है तो ऐसा स्थान इस धारा के प्रयोजन के लिए अधिसूचित स्थान समझा जाएगा ।

(3) किसी न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, बिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी होटल, क्लब, रेस्तरा या अन्य अधिसूचित स्थान को शराब के विक्रय हेतु जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति, शराब परोसने एवं उसका प्रदाय करने के लिए जारी की गई और सदैव जारी की गई समझी जाएगी और इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्ध लागू रहेंगे जैसे कि वे शराब के विक्रय हेतु लागू थे ।

स्पष्टीकरण.––शंका के निराकरण हेतु यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि शराब के विक्रय के लिए यथा लागू समस्त कर, शुल्क, उपकर या अन्य उदग्रहण शराब को परोसने या उसका प्रदाय करने हेतु तब तक लागू होंगे जब तक इस अध्यादेश या किसी अन्य अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियम या अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए ।

(आचार्य देवव्रत)
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

(डा0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)

शिमलाः
तारीखः .... 2017.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No. 2 of 2017

Himachal Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 2017

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India.

AN

ORDINANCE

further to amend the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (Act No. 33 of 2012).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India , the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following ordinance:—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 2017.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(*i*) after clause (c), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(ca) "club" means any person or body of persons providing services, facilities or advantages, primarily to its members, for a subscription or any other amount;";

(*ii*) after clause (k), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(ka) "hotel" includes a building or a part of a building where residential accommodation is, by way of business, provided for a monetary consideration;";

(*iii*) after clause (n), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(na) "liquor vends" means retail shops that are licensed to sell liquor and shall not include any hotels, clubs, restaurants or notified place;";

(*iv*) after clause (r), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(*ra*) "notified place" means any building or part of a building and the premises appurtenant thereto and any specifically demarcated land wherein the supply of liquor in terms of a licence is permitted for consumption within such notified place;";

(v) after clause (v), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(va) "restaurant" means a commercial establishment where meals are prepared and served to customers for a monetary consideration;"; and

(vi) after clause (w), the following new clauses shall be inserted, namely:—

"(wa) "sale of liquor" means transfer of liquor for consideration by a liquor vend for consumption by a purchaser at a place other than the premises of the liquor vend;

(wb) "service and supply of liquor" means the provision of liquor for consideration at clubs, restaurants, hotels and any others notified place on the basis of licence that is issued on the condition that such liquor shall be consumed within the premises of such hotel, club, restaurant or other notified place;";.

3. Insertion of new section 23A.—After section 23 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

23A. Sale or Service and Supply of Liquor-(1) The sale of liquor shall be permitted only through licensed liquor vends which shall not be located within motorable or walking distance of 220 or 500 meters, as applicable, from the outer edge of the National or

State Highway or by a service lane along such highway and such liquor vends shall neither be visible nor directly accessible from such National or State Highway.

(2) Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, every hotel, club, restaurant or any notified place having a licence shall be entitled to engage in the service and supply of liquor to members, guests or other persons for consumption of such liquor within the premises of such club, hotel, restaurant or notified place, irrespective of whether such club, hotel, restaurant or notified place, is located on or near any State or National Highway:

Provided that if any persons obtains permit for serving of liquor at a private place, then such place shall be considered as notified place for the purpose of this section.

(3) Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority, any licence issued to any hotel, club, restaurant or other notified place for the sale of liquor shall be deemed to have been and always be deemed to have been issued for the service and supply of liquor and all relevant provisions of this Act and the rules made thereunder shall continue to apply as they did for sale of liquor.

Explanation.—For the removal of doubt, it is hereby clarified that all taxes, duties, cess or other levies as applicable to sale of liquor shall apply to service and supply of liquor unless otherwise specified in this or any other Act, rule or notification made thereunder.

(ACHARYA DEVVRAT),
Governor.

(Dr. BALDEV SINGH),
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA:
Dated: , 2017